राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकः प.4(3)साप्र/5/2016 जयपुर, दिनांकः- 4 JAN 2019

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता हैः-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	कुसुम मीणा (RAc'S), सहायक निदेशक, निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर	5400/- L-14	51/TH 2018	G-4/2 OTH
2.	श्रीमती ज्योति नागर (RAc'S), लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), जयपुर	5400/- L-14	52/TH 2018	G-5/1 OTH
3.	श्री उमंग राजवंशी, सहायक अभियन्ता, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर	5400/- L-14	49/TH 2018	F-4/2 OTH

राज्यपाल की आज्ञा से

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करे।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(3)साप्र/5/2016 जयपुर, दिनांकः - 4 JAN 2019

—:: आज्ञा :: —

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 15.02.2017 द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को उन्हें आवंटित आवास के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों पर आवास का परिवर्तन किया जाता हैः–

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. ट्रांजिट हॉस्टल के आवास में रहने वाले अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण–पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय–समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरियता संख्या	ग्रेड–पे	आवंटित आवास संख्या
1	श्री रामनिवास लामरोड़, उप निदेशक (तत्कालीन सहायक निदेशक), मत्स्य, मत्स्य विभाग, जयपुर	39/TH 2014	6600/- L-16	15 OTH के स्थान पर G-3/1 NTH का परिवर्तन।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd/-

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। साथ ही उक्त परिवर्तित आवास का कब्जा प्राप्त कर पूर्व में आवंटित आवास रिक्त कर कब्जा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर को संभलवाते हुए इस विभाग को सूचित करने की व्यवस्था करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर– कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है। साथ ही आवंटी को पूर्व में आवंटित आवास को रिक्त करने की रिपोर्ट इस विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग– आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग–कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव